देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/ak/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 5 नवम्बर 2020

चारागाह की जमीन पर अवैध खनन का मामला!!

पंचायत की 141 हेक्टेयर चरागाह जमीन पर अवैध खनन तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्यवाही परन्तु कार्यवाही के 10 दिन बाद ही अवैध खनन पुनः चालू

भाग-2

अजमेर जिले की सरवाड़ तहसील स्थित मनोहरपुरा गाँव की करीब 141 हेक्टेयर चरागाह जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे अवैध खनन के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाना बोराडा के थानाधिकारी RPS श्री रितेश कुमार द्वारा खनिज विभाग की मदद से कार्यवाही की गयी|मगर पुलिस का यह जलवा 10 दिन भी कायम नहीं रह सका, स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि पुलिस कार्यवाही के दस दिन बाद ही खनन माफियाओं की गतिविधियाँ पुनः चालू हो गयी है|हालाँकि स्थानीय पुलिस द्वारा दी गयी अपनी रिपोर्ट में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच किसी भी प्रकार की सांठ-गाँठ को नाकारा गया है|

पुलिस कार्यवाही पर सवालिया निशान

- आखिर वह कौन प्रभावशाली लोग है जिनकी शह पर यह अवैध खनन किया जा रहा था?
- पुलिस ने इस प्रकरण में किन-किन लोगो के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में मामले दर्ज किये?
- पुलिस ने अवैध खनन मामले में कितने लोगो को मौके से गिरफ्तार किया?
- पुलिस ने अवैध खनन में प्रयुक्त कौन कौन से वाहनों को जब्त किया?
- इस चारागाह के कितने क्षेत्र में यह अवैध खनन किया जा रहा था?
- भविष्य में इस चारागाह जमीन पर पुनः कोई अवैध खनन ना हो इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था पुलिस-प्रशासन द्वारा की गयी अथवा नहीं?
- आखिर क्यूँ पिछले थानाधिकारी द्वारा स्थानीय निवासियों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
- क्या नव नियुक्त RPS अधिकारी एवं थाना इंचार्ज थाना बोराडा,श्री रितेश कुमार आम जन के मन से इन अवैध खनन माफियाओं का डर निकाल कर,राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य **" अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास"** की विश्वसनीयता को कायम रख पाएंगे?
- क्या स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए मुखबीर प्रणाली,नाकाबंदी,बीट व्यवस्था को मजबूत किया गया है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक वृत किशनगढ ग्रामीण जिला अजमेर

कमांक:– 1901-02 दिनांक:–31.10.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला अजमेर।

विषय:– जांच परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार श्री प्रभूदयाल शर्मा (चीफ एडिटर)निवासी S-1 सेकंड फलोर झारखंड अपार्टमेंट झारखंड महादेव मोड जनरल सगत सिंह मार्ग खातीपुरा जिला जयपुर चीफ एडिटर के सम्बध में।
प्रंसग:– राजस्थान सम्पर्क पोरटल परिवाद कमांक 10200678852003 दिनांक 24.10.2020 की पालना के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश का परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि अजमेर जिले कि सरवाड तहसिल स्थित मनोहरपुरा गाव की करीब 141 हेक्टयर चारागह जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा सीनीय पुलिस प्रशासन से सांठ –गाठ कर बहुमुल्य खनिजो का अवैध खनन करने की कार्यवाही के विरुद्व परिवाद मोहदय उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1. अजमेर जिले कि सरवाड तहसिल स्थित मनोहरपुरा गाव की करीब 141 हेक्टयर चारागह जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा सीनीय पुलिस प्रशासन से सांठ –गाठ कर बहुमुल्य खनिजो का अवैध खनन किया जा रहा है । 2. यहा के ग्रामिणों द्वारा एक नही सैकडो बार इस चारागृह जमीन पर हो रहे अवैध खनन कि शिकायत स्थानीय प्रशासन से कि परन्तु खनन माफियाओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सिंडिकेट की बदौलत इन खनन माफियाओं तक डिपार्टमेंट की रेड की खबर पहले हि आ जाती है जिसके चलते स्थानीय ग्रामिणों कि शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती और माफियाओं के हौसले और बुलंद हो जाते है। 3. जिस प्रकार भिलवाडा और अलवर जिलों के भ्रष्ट पुलिस अधिकारीयों के विरूद उनकी अपराधियों से मिलीभगत के चलते कार्यवाही की गयी है इसी प्रकार की कार्यवाही यहां भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्व भी आवश्यक है । आदि परिवाद की जांच थानाधिकारी पुलिस थाना बोराडा आरपीएस रितेश कुमार द्वारा की गई । –

आदि परिवाद मे अंकित मोबाईल नम्बर से परिवादी से सम्पर्क किया तो बताया की मै जयपुर का रहने वाला हू और हमारे द्वारा जवाब दो सरकार के नाम की सस्था बना रखी है। जिसमें मै चीफ एडिटर के पद पर कार्यरत हूँ जो हमारे पास शिकायत आती है जिसे ऑनलाईन के माध्यम से परिवाद पेश करते है। परिवाद मे [illegible]

- अजमेर जिले कि सरवाड तहसिल स्थित मनोहरपुरा गाव की करीब 141 हेक्टयर चारागह जमीन पर खनन माफियाओं द्वारा गोपनीय पुलिस प्रशासन से सांठ –गाठ कर बहुमुल्य खनिजो का अवैध खनन किया जा रहा है । गाव मनोहरपुरा मे स्थित खनन माफियाओं पर कार्यवाही कि जा रही दिनाक 23.10.2020 को गाव मनोहरपुरा मे चल रहे अवैध खनन पर जरिये मुखबीर कि सुचना पर मौके पर जाकर माईनिग विभाग को बुलाकर कार्यवाही कि गई ।
- यहा के ग्रामिणों द्वारा एक नही सैकडो बार इस चारागृह जमीन पर हो रहे अवैध खनन कि शिकायत स्थानीय प्रशासन से कि परन्तु खनन माफियाओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सिंडिकेट की बदौलत इन खनन माफियाओं तक डिपार्टमेंट की रेड की खबर पहले हि आ जाती है जिसके चलते स्थानीय ग्रामिणों कि शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती और माफियाओं के हौसले और बुलंद हो जाते है। :– ग्रामिणो द्वारा थाना हाजा पर कोई शिकायत प्राप्त नही हुई फिर भी अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही कि जा रही पुलिस व खनन माफियाओं के कोई भी सर्म्पक नही है । व अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही कि जा रही है ।
- जिस प्रकार भिलवाडा और अलवर जिलों के भ्रष्ट पुलिस अधिकारीयों के विरूद उनकी अपराधियों से मिलीभगत के चलते कार्यवाही की गयी है इसी प्रकार की कार्यवाही यहां भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्व भी आवश्यक है:– पुलिस थाना बोराडा पर कोई भी पुलिस कर्मचारी/अधिकारीयों की खनन माफियाओं से मिली भगत नही है। सम्पर्ण जांच से परिवाद झुठा पाया गया है।

अतः बाद जांच परिवाद रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे अवलोकनार्थ हेतु सादर प्रेषित है।

पुलिस उप अधीक्षक
वृत किशनगढ ग्रामीण अजमेर
पुलिस उप अधीक्षक
वृत किशनगढ – ग्रामीण
जिला – अजमेर

प्रतिलिपी:–प्रार्थी श्री श्री ज्ञानेश कुमार श्री प्रभूदयाल शर्मा (चीफ एडिटर) निवासी S-1 सेकंड फलोर झारखंड अपार्टमेंट झारखंड महादेव मोड जनरल सगत सिंह मार्ग खातीपुरा जिला जयपुर चीफ एडिटर को सूचनार्थ।

स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट

पुलिस उप अधीक्षक
वृत किशनगढ ग्रामीण अजमेर
पुलिस उप अधीक्षक
वृत किशनगढ – ग्रामीण
जिला – अजमेर